



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-III/2018/

दिनांक :

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/वॉल्यूम-III/2018/108 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित रखते हुए श्री दिनेश कुमार रंगा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे। निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/292/प्र.अ./18/454 दिनांक 20.07.2018 के द्वारा कर्मचारी की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हो जाने के फलस्वरूप कर्मचारी का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी पढा जावें। निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एमएस/एफ-2055/1108 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा श्री रंगा के विरुद्ध विभागीय जांच समाप्त की जा चुकी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार रंगा, प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 02/01/18

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-III/2018/2084

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर।
3. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. श्री दिनेश कुमार रंगा, प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर